न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

प्रा0पत्र सं0 03/2018 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक दौसा
..प्रार्थी

बनाम

श्री विजय कुमार जैन, विकास कॉलोनी, आनन्द शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय के पास, दौसा
..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री सुधीर जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 05 गैस सिलेण्डर (03 वाणिज्यिक बीपीसीएल व 02 घरेलू बीपीसीएल) मय एलपीजी 28.300 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

दिनांकः 30.7.2025

निर्णय

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन निरीक्षक दौसा के द्वारा दिनांक 2.5.2018 को गैस सिलेण्डरों में आगजनी की घटना के दौरान जब्त किये गये 05 गैस सिलेण्डर (03 वाणिज्यिक बीपीसीएल व 02 घरेलू बीपीसीएल) मय एलपीजी 28.300 किलोग्राम को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 2.5.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक गैस सिलेण्डरों से आग लगने की घटना की जांच करने हेतु आनन्द शर्मा बालिका उच्च माध्यमिक विधालय के पास, विकास कालोनी दौसा में स्थित घटना स्थल (श्री विजय कुमार जैन, विकास कालोनी, दौसा का मकान पर पहुँचा। मौके पर जांच उपरांत उपस्थित गवाहों के बयान व पुलिस प्रशासन द्वारा दिये गये सबूत फोटो वगैरह व बयानों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य/अनियमितताएं पाई गईः–
   - मौके पर श्री विजय कुमार जैन के मकान में गैस सिलेण्डर से आग लगना पाया गया।
   - मौके पर पुलिस एएसआई श्री योगेश व्यास व दो सिपाहियों श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा व श्री बनवारी लाल गुर्जर ने जरिये बयान बताया कि मौके पर लगभग 12 से 13 सिलेण्डर (घरेलू व कॉमर्शियल) मौजूद थे किन्तु घटनास्थल पर घायलों को अस्पताल पहुँचाने के दौरान मकान मालिक ने खुर्द बुर्द कर दिया।
   - मौके पर श्री विजय कुमार जैन ने बताया कि वह कैटरिंग का व्यवसाय करता है और उसके पास घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डर है किन्तु मकान मालिक द्वारा न तो व्यवसाय के संबंध में किसी भी विभाग का कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया और न ही सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

- मौके पर पाये गये 03 वाणिज्यिक सिलेण्डरों व 02 घरेलू सिलेण्डरों को कब्जे राज लिया गया व सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स सदाशिव गैस ऐजेन्सी को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सीरियल नंबर	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम)	गैस का वजन (किलोग्राम)	कुल वजन
1	वणिज्यिक	बीपीसीएल	002867 एस	19.7	17.300	37 कि.ग्रा.
2	वणिज्यिक	बीपीसीएल	02847 एस	20	11	31 कि.ग्रा.
3	वणिज्यिक	बीपीसीएल	21889 एस	अपठनीय	–	24 कि.ग्रा.
4	घरेलू	बीपीसीएल	066176 एस	15.6	–	15.6 कि.ग्रा.
5	घरेलू	बीपीसीएल	276224 टी	15.9	–	15.9 कि.ग्रा.
	कुल योग				28.300	

- मौके पर थाना कोतवाली सी.आई. दौसा श्री मदन कुमार जैफ मय जाब्ता मौके पर उपस्थित मिले जो कुछ समय पश्चात मौके से चले गये।
- जला हुआ सिलेण्र थाना कोतवाली दौसा द्वारा कब्जे राज लिया गया है। मौके की परिस्थितियो के अनुसार प्रथम दृष्टया गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग व कारोबार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

4. इस प्रकार श्री विजय कुमार जैन पुत्र कल्याण मल जैन निवासी दौसा द्वारा सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करना, संतोषजनक जवाब न देना और सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग की संभावना आदि के कारण द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 वाणिज्यिक सिलेण्डरों व 02 घरेलू सिलेण्डरों मय एलपीजी 28.300 किलोग्राम जब्त सरकार किया गया व सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स सदाशिव गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि श्री चन्द्रमोहन शर्मा को सुपुदर्गी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर उक्त जब्तशुदा 05 गैस सिलेण्डर (03 वाणिज्यिक व 02 घरेलू) मय एलपीजी 28.300 किलोग्राम का राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम गलत एवं बेबुनियाद एवं नितान्त असत्य है। अप्रार्थी के मकान के बाहर बरामदे में खाना बनाते समय अचानक सिलेण्डर की नली निकल गई जिसके कारण सिलेण्डर द्वारा अचानक आग पकड ली जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अप्रार्थी एवं उसके पिता व भाई रजनीश एक ही मकान में रहते है। उक्त तीनों के नाम से तीन अधिकृत नियमित डीबीसी गैस कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कैटरिंग का व्यवसाय करता है, जिस हेतु अप्रार्थी ने अधिकृत रूप से अधिकृत डीलर अतिम गैस ऐजेन्सी दौसा से विभिन्न दो तारीखों पर तीन कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर खरीदे हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी एवं उसके भाई व पिता के नाम से गैस कनेक्शनों से प्रत्येक के दो–दो सिलेण्डर कुल 6 गैस सिलेण्डर है जो उक्त तीनों का एक ही संयुक्त मकान होने के कारण एक साथ रखे हुए थे व 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर रखे हुए थे। अप्रार्थी के द्वारा कोई सिलेण्डर खुर्द बुर्द नहीं किये गये है बल्कि अन्य सि[illegible] आग नहीं पकड लें इसलिए उन्हें सुरक्षित किया गया। 12 से 13 सिलेण्डर होने [illegible] है। सदाशिव गैस ऐजेन्सी का सैल्समैन गैस सप्लाई क[illegible] जो भी मौके पर मौजूद था तथा उसके भी आग बुझाने का प्रयास किया जिससे वो भी थोडा झुलस गया। कुछ सिलेण्डर उक्त सैल्समैन सप्लाई करने लाया था जिनको वह ले गया। अप्रार्थी के पास न तो 12–13 सिलेण्डर थे व न ही अप्रार्थी ने कोई गैस सिलेण्डर खुर्द बुर्द किये है। अप्रार्थी ने कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:48:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

यह नहीं कहा कि उसके पास 6 घरेलू गैस सिलेण्डर है बल्कि यह कथन किया था कि अप्रार्थी के परिवार में 03 गैस कनेक्शन है जिनके 6 सिलेण्डर है एवं उक्त तीनों डीबीसी कनेक्शन व तीनों वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर के दस्तावेज भी तत्समय मौजूद कोतवाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक को दिखा दिये थे, परन्तु उन्होंने नहीं लिये और प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है। प्रवर्तन निरीक्षक एवं पुलिस के द्वारा अप्रार्थी के मकान की तत्समय पूर्ण तलाशी ली गई परन्तु गैस रिफलिंग का कोई सामान नहीं मिला। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक व पुलिस के सामने स्वयं हलवाई सुशील कुमार मौके पर कढाई में पुडी उतारते हुए पाया गया है व संभावनाओं से कभी कोई प्रकरण नहीं बनता है। अप्रार्थी के द्वारा तत्काल मौके पर ही उक्त वर्णित सिलेण्डरों के दस्तावेज पेश कर दिये थे व संतोषजनक ही नहीं बल्कि सही व संपूर्ण रूप से मौखिक जवाब दे दिया गया था, अन्य कोई जवाब कभी मांगा ही नहीं गया इसलिए लिखित जवाब देने का कोई मौका ही नहीं था। कानूनन व नियमानुसार अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं बनता है। गलत तरीके से गैस सिलेण्डरों को जब्त कर यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं गलत व गैर कानूनी रूप से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अप्रार्थी कैटरिंग का व्यवसाय करता है, जिसमें खाना बनाने हेतु कॉमर्शियल सिलेण्डर की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी छोटा एवं लघु कैटरिंग व्यवसायी है व इस हेतु अप्रार्थी ने कानूनन व अधिकृत रूप से मै0 अमित गैस सर्विस से 3 गैस सिलेण्डर क्रय किये है। दिनांक 2.5.2018 को तथाकथित घटना के समय अप्रार्थी के मकान के बाहर बरामदे में मजदूरों के भोजन के लिए सुशील हलवाई छोटी गैस भट्टी पर कढाई में पुडिया उतार रहा था, उस समय अचानक उक्त हलवाई की लापरवाही से गैस की नली निकल गई जिससे उस गैस सिलेण्डर ने आग पकड ली, जिसको तत्काल बुझाया गया जिसमें 3 बुझाने वाले कुछ जले बाकी गैस सिलेण्डरों को तत्काल वहॉ से हटाया गया। तत्समय प्रवर्तन निरीक्षक व पुलिस थाना कोतवाली मौके पर आई जिनको सभी तथ्य व दस्तावेज बताये गये। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण असत्य एवं बेबुनियाद बनाया गया है। लघु कैटरिंग व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कैटरिंग व्यवसाय लाईसेन्स की उपलब्धता का न तो प्रश्न उठता है और ना ही औचित्य है। अप्रार्थी ने उक्त व्यवसाय को उधोग मंत्रालय में पंजीकृत करवाकर प्रमाण पत्र पूर्व से लिया हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जाकर उक्त वर्णित पांचों गैस सिलेण्डर जिनमे 3 वाणिज्यिक एवं 2 घरेलू सिलेण्डर को अप्रार्थी को स्थाई रूप से लौटाने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक गैस सिलेण्डरों से आग लगने की घटना की जांच करने हेतु आनन्द शर्मा बालिका उच्च माध्यमिक विधालय के पास, विकास कालोनी दौसा में स्थित घटना स्थल (श्री विजय कुमार जैन, विकास कालोनी, दौसा का मकान पर पहुँचा। मौके पर जांच उपरांत उपस्थित गवाहों के बयान व पुलिस प्रशासन द्वारा दिये गये सबूत फोटो वगैरह व बयानों के आधार पर अनेकों अनियमितताएं पाई गई। मौके पर पुलिस एएसआई श्री योगेश व्यास व दो सिपाहियों श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा व श्री बनवारी लाल गुर्जर ने जरिये बयान बताया कि मौके पर लगभग 12 से 13 सिलेण्डर (घरेलू व कॉमर्शियल) मौजूद थे [illegible] को अस्पताल पहुँचाने के दौरान मकान मालिक ने खुर्द बुर्द कर दिया। मौके पर [illegible] विजय कुमार जैन ने बताया कि वह कैटरिंग का व्यवसाय करता है और उसके [illegible] घरेलू सिलेण्डर व तीन वाणिज्यिक सिलेण्डर है किन्तु मकान [illegible] व्यवसाय के संबंध में किसी भी विभाग का कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया और न [illegible] सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये। अप्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी एवं उसके पिता व भाई

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजनीश एक ही मकान में रहते है। उक्त तीनों के नाम से तीन अधिकृत नियमित डीबीसी गैस कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कैटरिंग का व्यवसाय करता है, जिस हेतु अप्रार्थी ने अधिकृत रूप से अधिकृत डीलर अतिम गैस ऐजेन्सी दौसा से विभिन्न दो तारीखों पर तीन कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर खरीदे हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी एवं उसके भाई व पिता के नाम से गैस कनेक्शनों से प्रत्येक के दो–दो सिलेण्डर कुल 6 गैस सिलेण्डर है जो उक्त तीनों का एक ही संयुक्त मकान होने के कारण एक साथ रखे हुए थे व 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर रखे हुए थे। श्री विजय कुमार जैन पुत्र कल्याण मल जैन निवासी दौसा द्वारा सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करना, संतोषजनक जवाब न देना और सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग की संभावना आदि के कारण द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध साबित होता है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 03 वाणिज्यिक सिलेण्डरों व 02 घरेलू सिलेण्डरों मय एलपीजी 28.300 किलोग्राम को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested